झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक, (मूल स्तर) के पद पर नियमित भर्त्ती नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2021) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक (मूल स्तर) के पद पर नियमित भर्त्ती नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2021) के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या–500 अथवा रिक्ति के 5 गुणा से कम रहने के कारण विभागीय मंतव्य के आलोक में सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार के लिए कुल–100 अंक होंगे तथा इसका विभाजन निम्नवत् होगा :–

10th या मैट्रिकुलेशन	10
12th या इंटरमीडिएट	10
B.VSc. & A.H.	60
साक्षात्कार	20
कुल	**100**

विज्ञापन संख्या–04/2021 के विरूद्ध समर्पित ऑनलाईन आवेदनों में से प्रथम दृष्टया औपबंधिक रूप से स्वीकृत आवदेनों की सूची एवं अस्वीकृत आवेदनों की (कारण सहित) सूची आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। अतएव औपबंधिक रूप से स्वीकृत सूची के अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन की कंडिका–12(ध) के आलोक में ऑनलाईन आवेदन में किये गये अपने दावे के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी :–

(i) भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति।
(ii) मैट्रिक प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
(iii) इंटरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
(iv) पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी0भी0एस0सी0 एंड ए0एच0) की उपाधि प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र (सभी सेमेस्टरों का) की छायाप्रति।
(v) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(vi) जाति प्रमाण–पत्र (विहित प्रपत्र में)/E.W.S. प्रमाण–पत्र (विहित प्रपत्र में) की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(viii) अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो)।
(ix) स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र (विहित प्रपत्र में) की छायाप्रति (क्षैतिज आरक्षण का दावा करने हेतु केवल झारखण्ड के स्थानीय निवासियों के लिए)।
(x) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन की कंडिका–12(**ध**) के अनुरूप यथा वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

2. ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक–02.12.2022 संध्या–05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या–04/2021** तथा परीक्षा का नाम यथा–**"पशुचिकित्सक, (मूल स्तर) नियमित भर्त्ती नियुक्ति परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में** अंकित किया जाना अनिवार्य है।

3. यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र (वांछित प्रमाण–पत्र सहित) आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

4. विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट पर www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।